

Approved by: UGC, AICTE, NCTE, PCI, BCI, NCISM, INC, MPPURC & M.P. Govt.

SGU/RG-104/MPPURC/Fee-Review/2025/38

Date: 29/04/2025

To,

The Secretary
Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission
Gyan Vatika, WALMI Road, Opposite Kaliasot Dam,
Bhopal – 462016 (M.P.)

Subject: Submission of Proposal for Fee Review of Courses for the Academic Session 2025–26 - (SAM Global University, Raisen)

Reference: Your notification Letter No.741/Fee/MPPURC/2025 Dated 28.03.2025 regarding fee review for the academic session 2025–26.

Dear Sir,

With reference to the subject cited above, I am writing to submit the proposal for the review of the fees for various courses being run at SAM Global University, Raisen, for the academic session 2025–26, as per the prescribed format and in accordance with the directions issued by the Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission vide above-referenced notification.

We have enclosed the required documents and detailed proposed fee structure of all courses currently being offered by the University.

You are kindly requested to review the submitted proposal and initiate further necessary action for the approval of course fees for the upcoming academic session.

We look forward to your kind consideration.

Thanking you.

Yours sincerely,

Registrar

SAM Global University **Registrar** 

SAM Global University, Raisen



## म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

## मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL Government of Madhya Pradesh

239).../शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/9/94

आदेश

प्रति,

कुलसचिव, सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय रायसेन (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (इ) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024—25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक 05.09.2024 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:—

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024—25 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रूपये में) //04// विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024—25 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रूपये में)

| 45 |  | (राशि रूप   | नय में) |        |              |                    |
|----|--|---|---------|--------|--------------|--------------------|
|    | Faculty Of Library<br>Science  | B. Lib  | 12,800  | 10880  | 1920         | 12800              |
| 46 |  | M. Lib  | 16,000  | 13600  | 2400         | 16000              |
| 47 |  | Ph. D (Library<br>Science)                            | 76,000  | 64600  | 11400        | 76000              |
| 48 | Sam College Of<br>Ayurvedic Sciences &<br>Hospital (Faculty Of<br>Ayush) | BAMS  | 320,000 | 238000 | 42000        | 280000             |
| 49 | Sam College Of Pharmacy (Faculty Of Pharmacy)                            | B. PHARMACY   | 61,000  | 51850  | 9150         | 61000              |
| 50 |  | D.PHARMACY  | 72,000  | 58310  | 10290        | THE STATE OF STATE |
| 51 | Sardar Ajcet Singh<br>Memorial College<br>(Faculty Of<br>Education)      | B.ED  | 42,500  | 34000  |              | 68600              |
| 52 |  | M.A.EDUCATION   | 26,000  | 22100  | 6000         | 40000              |
| 53 |  | Ph. D<br>EDUCATION                                    | 60,000  | 50575  | 3900<br>8925 | 26000<br>59500     |
| 54 | Diploma-Certificate & New Courses Of Science, Arts & Engineering         | Diploma in English<br>Proficiency & Basic<br>of Skill | 11,500  | 9775   | 1725         | 11500              |
| 55 |  | Diploma in Bakery & Confectionary                     | 12,000  | 10200  | 1800         | 12000              |
| 56 |  | Diploma in Beauty Culture & Cosmetics                 | 12,000  | 10200  | 1800         | 12000              |
| 57 |  | P.G. Diploma in<br>Sports Coaching                    | 12,000  | 10200  | 1800         | 12000              |
| 58 |  | DCA   | 12,000  | 10200  | 1800         | 12000              |
| 59 |  | Diploma Animal<br>Husbandry                           | 11,000  | 9350   | 1650         | 11000              |
| 60 |  | Diploma in<br>Agriculture                             | 13,200  | 11220  | 1980         | 13200              |
| 61 |  | Diploma in Food &<br>Beverages services               | 11,500  | 9775   | 1725         | 11500              |
| 62 |  | Diploma in Food Production (CraftManship)             | 28,000  | 23800  | 4200         | 28000              |
| 63 |  | Diploma in Food<br>Processing and<br>Technology       | 11,500  | 9775   | 1725         | 11500              |
| 64 |  | Diploma in Renewal<br>Energy Management               | 11,500  | 9775   | 1725         | 11500              |
| 65 |  | Diploma in Sanitary<br>Inspector                      | 26,000  | 22100  | 3900         | 26000              |
| 66 |  | Diploma in House<br>Keeping                           | 12,100  | 10285  | 1815         | 12100              |

Din

 उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रिजस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सिहत शुल्क सिमलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित व्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।

Din

TKCOT

## //08//

## विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सिमलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र

में प्रकाशित नही है।

7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमित प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।

8. विनियामक परिषदों की अनुमित से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमित

प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे) प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक .....

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024 प्रतिलिपि—

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।

2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।

3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।

4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।

5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल